


परा सा

आदेश से रीडर

11/10/19

No. instruction
मि. 2/19

पडावली पेश हुई। वापीगण
 अधिवक्ता उपस्थित। वकील वापीगण
 ने वापस को हिफाजत पेशी नहीं
 होना केकित किया। मतः वकील वापीगण
 की हिफाजत पेशी नहीं लेने के कारण
 वापीगण का वापस हिफाजत पेशी के
 अभाव में खारीज किया जाता है पडावली
 फौजदारी अदालत की जांच के वासील दफ्तर
 है।


 सहायक कलक्टर
 बीलवाड़ा